n. No. 13

अपील सूचना अधिकार संख्या 89/2018 (RCMS : 2018/00) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर हाल उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.12.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित है।

अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल का कथन है कि उन्होनें सुभाष गोयल, तत्कालीन बैकिंग सहायक वर्तमान प्रबन्धक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर जो कि बी.एल.ओ. है, के खिलाफ एक शिकायत दिनांक 07.12.2017 को अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर, श्रीमान् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर को पेश की थी, जिस पर तहसीलदार(निर्वाचन), श्रीगंगानगर द्वारा अपना जाचं प्रतिवेदन दिनांक 14.03.2018 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर को पेश किया और उनके द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगगंगानगर को दिनांक 16.07.2018 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उपजिला जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 6797 दिनांक 13.09.2018 द्वारा प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत को सही नही पाया जबकि उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र पर जांच के दौरान प्रार्थी शिकायतकर्त्ता को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया और एकतरफा जांच की गई है। इसलिए पुनः निष्पक्ष रूप से जांच करवाई जावे और उक्त जांच में प्रार्थी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की शिकायत का सम्बन्ध निर्वाचन सम्बन्धी कार्य से था इसलिए उसके द्वारा असंतुष्ट होकर यह प्रथम अपील जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को निर्वाचन सम्बन्धी नियमों के तहत कार्यवाही करने के लिए प्रस्तुत की है न कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत। इसलिए उसकी अपील को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज कर, कार्यवाही करना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर इस मामले में पुनः जांच करवाई जावे और साथ ही प्रार्थी को उक्त जांच में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी को दिनांक 13.09.2018 को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक 6797 दिनांक 13.09.2018 से निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रस्तुत की गई जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.07.2018 की प्रतिलिपि सूचनार्थ अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को भेजते हुए सूचित किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत जांच से आधारहीन पाई गई है। उक्त आदेश 13.09.2018 की अप्रसन्नता से उनके द्वारा यह अपील पेश की गई है। **इस अपील पत्र में प्रार्थी ने पुनः जांच करवाने की प्रार्थना की है और जांच में उसे सुनवाई हेतु अवसर दिए जाने की प्रार्थना भी की है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रार्थी की अपील को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील मानते हुए निस्तारण हेतु भिजवाया है।**

सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील तभी की जा सकती है जब प्रार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के लिए कोई प्रार्थना पत्र उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के तहत 10/— की निर्धारित फीस

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

के साथ प्रस्तुत किया हो। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कोई भी प्रार्थना पत्र सूचना प्राप्ति हेतु फीस सहित पेश नहीं हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि यह मामला सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत का नही है और अपीलार्थी ने भी अपनी बहस में इस मामले को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होना बताया है। इसलिए इस अपील को सूचना का अधिकार के अन्तर्गत अपील के रूप में मानना उचित नही है। अतः इसे इसी आधार पर खारिज किया जाता है।

जहां तक प्रार्थी का यह कथन कि उसने दिनांक 07.12.2017 को सुभाष गोयल तत्कालीन बैंकिग सहायक, वर्तमान प्रबन्धक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर जो कि बी.एल.ओ. के रूप में निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में लगे हुए है, के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की थी जिस पर तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 14.03.2018 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी,(एस.डी. एम.), श्रीगंगानगर को प्रेषित किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी जांच में सुनवाई चाहता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत न होने के कारण खारिज की जाती है और जहां तक पुनः जांच का सम्बन्ध है इस संदर्भ में अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर प्रार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2017 को पुनः जाचं हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवायें और साथ ही उनको निर्देशित करें कि वे प्रार्थी को जाचं में सुनवाई हेतु अवसर देवें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ~~श्रीगंगानगर~~ को पालनार्थ एवं आदेश की प्रति अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को भी भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो यह आदेश आज दिनांक 17.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना
(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर